प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 18.04.2018 (बुधवार) को आयोजित हवाई सर्वेक्षण एवं डाटा इंट्री एजेंसी के प्रतिनिधि, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) एवं निदेशालय तथा विभाग के पदाधिकारियों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– यथा संधारित।

सर्वप्रथम हवाई सर्वेक्षण कार्य में संलग्न एजेंसियां, IL&FS, Gurgaon, IIC Technology, Hydrabad एवं GISC, New Delhi के प्रतिनिधि के द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं उक्त कार्यों के निष्पादन में उत्पन्न समस्याओं की समीक्षा की गई एवं निम्नांकित निदेश दिए गए :–

1. हवाई फोटोग्राफी एजेंसी को आवंटित जिलों के विरूद्ध उपलब्ध कराए गए मानचित्र एवं अन्य कार्य :–

एजेंसी का नाम	क्र0 सं0	आवंटित जिला का नाम	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	मानचित्र उपलब्ध कराए गए राजस्व ग्रामों की संख्या	ग्राम सीमा–सत्यापन राजस्व ग्रामों की संख्या	मोन्यूमेंटेशन कार्य पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या
IL&FS, Gurgaon	1	नालंदा	1086	1045	158	41
	2	सारण	1804			
	3	भागलपुर	1577			
	4	मुंगेर	862	820	175	55
	5	शेखपुरा	340	315	282	9
	6	पटना	1508			
	7	भोजपुर	1219			
	8	बक्सर	1132			
	9	रोहतास	2100			
	10	कैमूर	1700			
	11	दरभंगा	1277			
	12	मधुबनी	1115			
	13	समस्तीपुर	1260			
	14	सिवान	1524			
	15	गोपालगंज	1566			
GISC, New Delhi	16	सहरसा	470	470	11	11
	17	मधेपुरा	447	438	41	41
	18	सुपौल	556	550	26	24
	19	बांका	2043			
	20	जमुई	1528			
	21	नवादा	1099			
	22	बेतिया (प0 चम्पारण)	1509			

IIC Technology, Hydrabad	23	बेगूसराय	1229	1184	50	2[illegible]
	24	लखीसराय	488	475	59	14
	25	खगड़िया	306	305	29	16
	26	पूर्णियाँ	1299	570	0	0
	27	अररिया	751	732	26	17
	28	किशनगंज	802	802	25	12
	29	कटिहार	1548	1306	26	3
	30	मोतिहारी (पू. चम्पारण)	1346	20		
	31	मुजफ्फरपुर	1808	56		
	32	वैशाली	1572	63		
	33	सीतामढ़ी	845	22		
	34	शिवहर	207	27		
	35	गया	2921	85		
	36	औरंगाबाद	1886	73		
	37	अरवल	335	48		
	38	जहानाबाद	614	48		

1.1 अगर किसी जिले के अंतर्गत किसी क्षेत्र का हवाई फोटोग्राफी कार्य संपन्न नहीं किया गया है एवं उक्त क्षेत्रों के मानचित्र निर्माण हेतु एजेंसी द्वारा सैटेलाईट (HRSI) इमेज की सहायता से मानचित्र तैयार करने की अनुमति मांगी गई है। वैसे क्षेत्रों के मानचित्र निर्माण हेतु सैटेलाईट इमेज की सहायता से मानचित्र निर्माण हेतु समीक्षोपरांत आदेश निर्गत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन –सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना)

1.2 हवाई फोटोग्राफी कार्य संपन्न होने बावजूद भी एजेंसी द्वारा मानचित्र का निर्माण नहीं किया गया है तो वैसे जिलों के राजस्व ग्रामों का मानचित्र तैयार कर रखा जाए एवं विभाग के निदेशानुसार संबंधित बंदोबस्त कार्यालय को मानचित्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(अनुपालन –संबंधित हवाई फोटोग्राफी एजेंसी)

1.3 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि खगड़िया के राजस्व ग्रामों की सूची के अनुसार जिले में 306 ग्राम है जबकि एजेंसी द्वारा 305 राजस्व ग्राम का ही मानचित्र दिया गया।

इस संबंध में एजेंसी द्वारा बताया गया कि राजस्व ग्राम तेघड़ा करारी अत्यत छोटा होने के कारण उनके मदर ग्राम के साथ ही मानचित्र तैयार कर दिया गया है।

इस संबंध में संबंधित बंदोबस्त कार्यालय को निदेशित किया गया है कि सर्वप्रथम उक्त राजस्व ग्राम की जाँच की जाए एवं आवश्यकतानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु एजेंसी को निदेशित किया गया।

(अनुपालन –प्रभारी पदाधिकारी, खगड़िया)

1.4 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा बताया गया कि जिले के कुल 493 ग्रामों में से 5 राजस्व ग्राम, शेखपुरा जिला में स्थानांतरित हो गए है। शेष 488 राजस्व ग्रामों में 486 का मानचित्र प्राप्त हुआ है, एजेंसी द्वारा बताया गया कि 2 राजस्व ग्रामों का कैडेस्ट्रल मानचित्र गुलजारबाग में उपलब्ध नहीं है साथ ही स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध नहीं हो पाया है।

निदेश दिया गया कि सभी एजेंसी वैसे सभी ग्रामों की सूची निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे जिनका कैडेस्ट्रल मानचित्र गुलजारबाग में उपलब्ध नहीं है। ऐसे मानचित्रों को प्राप्त करने में लिए जिला स्तर के पदाधिकारियों से संपर्क कर उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन –संबंधित प्रभारी पदाधिकारी एवं संबंधित हवाई फोटोग्राफी एजेंसी)

1.5 विभिन्न बंदोबस्त कार्यालयों एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा ग्राम–सीमा सत्यापन के क्रम में उत्पन्न समस्याएँ से अवगत कराया गया।

यह भी निदेश दिया गया कि पूर्व के कैडेस्ट्रल/रिविजनल मानचित्रों को संदर्भ के रूप उपयोग किया जाए।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि दिनांक 13.04.2018 को सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेशों के आलोक बंदोबस्त कार्यालयों एवं संबंधित हवाई फोटोग्राफी एजेंसी को ग्राम–सीमा सत्यापन सत्यापन हेतु सामान्य दिशा–निर्देश निर्गत किया जाए।

(अनुपालन – निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना)

2. <u>डाटा इंट्री एजेंसी के कार्यों की समीक्षा</u>

2.1 विभिन्न बंदोबस्त कार्यालयों के स०ब०प० (मु०) द्वारा बताया गया कि डाटा इंट्री एजेंसी विशेषकर नेटलिंक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन द्वारा कार्य स्थगित रखने के कारण सर्वेक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही इनके द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता अत्यन्त निम्न कोटि की है। जिसके कारण कार्यालय कर्मियों को त्रुटि निवारण में संलग्न करने के कारण सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होता है।इस संबंध में डाटा इंट्री एजेंसी द्वारा बताया गया कि भुगतान नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है।

डाटा इंट्री एजेंसी से संबधित समस्याओं को एकत्र कर, आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि डाटा इंट्री के दर को वर्त्तमान परिवेश में तर्कसंगत बनाया जाए। साथ ही बंदोबस्त कार्यालयों के माध्यम से डाटा इंट्री कार्य संपादित कराने के विकल्प पर भी विचार किया जाए।

(अनुपालन –सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना)

2.2 हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा उठाए गए बिन्दु एवं उक्त के आलोक में दिए ... निम्न प्रकार है :-

बकाया भुगतान/केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत् ऑनलाईन भुगतान के संबंध में।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि निदेशालय स्तर पर हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को मार्च, 2018 तक की राशि की समीक्षा कर ली जाए एवं एजेंसी के साथ विमर्श कर भुगतान प्रक्रिया के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन – निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना)

2.3 IL&FS एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि भोजपुर, बक्सर, सासाराम एवं कैमूर का डिजिटाईज्ड मानचित्र उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण मानचित्र उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं किया गया है।

इस संबंध में निदेशालय द्वारा बताया गया कि उक्त चारों जिला का मानचित्र विजन लैब द्वारा डिजिटाईज्ड किया गया था, लेकिन उक्त एजेंसी द्वारा ओपेन डाटा फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं कराया गया है। इनका डाटा कस्टमाईज्ड फॉर्मेट में है जिसे उनके ही द्वारा विकसित प्रोपराईटरी सॉफ्टवेयर पर खोला जा सकता है जिसके कारण उक्त डाटा को एक्सेस करना संभव नहीं हो पा रहा है एवं हवाई सर्वेक्षण हेतु डिजिटल ईनपुट उपलब्ध नहीं है।

इस संबंध में निदेशित किया गया कि विजन लैब को भुगतान हेतु शेष राशि से संबंधित जिलों का रिविजनल मानचित्र पुनः डिजिटाईज्ड कराया जाए, कराया जाए। साथ ही विजन लैब के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन – निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना)

2.5 GISC हवाई फोटोग्राफी एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि एजेंसी को आवंटित 7 (सात) जिलों में उनके द्वारा, मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल में शत्-प्रतिशत मानचित्रों की आपूर्ति संबंधित बंदोबस्त कार्यालयों को कर दी गई है। शेष 4 (चार) जिले नवादा, जमुई, बेतिया (प०च०) एवं बांका के राजस्व ग्रामों की संख्या (NIC द्वारा) एवं संबंधित जिलों के राजस्व ग्रामों के उपलब्ध मानचित्रों की संख्या में बहुत अधिक भिन्नता पाई जा रही है।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि हवाई फोटोग्राफी एजेंसी एवं गुलजारबाग से संपर्क कर समस्या का निदान कराया जाए।

(अनुपालन – सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना)

2.6 त्रि-सीमाना, पीलर पर आनेवाले लागत के भुगतान के संबंध में।

इस संबंध में बताया गया कि त्रि-सीमाना के पीलर की निर्धारित संरचना के आलोक में प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति की मांग निदेशालय द्वारा केन्द्रीय प्रारूपक (संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से की गई है) जो प्रक्रियाधीन है।

इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना)

2.7 किस्तवार के संबंध में मार्गदर्शन निर्गत करने के संबंध में।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि पूर्व में दिए गए निदेश के आलोक में किस्तवार की समस्त प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा–निर्देश शीघ्र निर्गत किया जाए।

(अनुपालन – निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना)

3. **बंदोबस्त कार्यालयों की समीक्षा**

बैठक में कार्यरत सभी 13 जिलों के बंदोबस्त कार्यालयों के स0ब0प0 (मु0) से बंदोबस्त कार्यालयों की समीक्षा एवं उनसे संबंधित समस्याओं के संबंध में विमर्श किया गया एवं निदेश दिए गए।

3.1 लखीसराय के स0ब0प0 (मु0) द्वारा बताया गया कि लखीसराय जिला के कुल 488 ग्रामों में अभी तक केवल 14 ग्रामों में त्रि–सीमाना मोन्यूमेंटेशन का कार्य किया गया है। प्रधान सचिव महोदय द्वारा त्रि–सीमाना मोन्यूमेंटेशन की आवश्यकता एवं एजेंसी के साथ हुए MoU में इसके बारे में दिए गए प्रावधानों के संबंध में स्पष्ट जानकारी मांगी गई।

(अनुपालन – जी0आई0एस0 सलाहकार, पी0एम0यू0)

3.2 जी0आई0एस0 सलाहकार द्वारा बताया गया कि DILRMP Guideline के Chapter 2 B के अनुसार **Best places for affixation for Auxiliary control points:-** Each secondary and monumented tertiary control point shall be paired with one auxiliary control point, which should be be located on permanent structures like bridges, culverts, permanent building corners, etc. the auxiliary control points should be within the line of sight from the primary, secondary and tertiary control points.

Densification: There shall be one auxiliary point for each secondary and tertiary control point, typically 200m or more.

जिस पर एजेंसी के प्रतिनिधियों द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई। निदेश दिया गया कि ग्रामों में प्रत्येक त्रि–सीमाना को मोन्यूमेंट करने के बजाय ग्राम के अंदर सार्वजनिक स्थलों जैसे– प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि एक टी0सी0पी0 को मोन्यूमेंट कर दिया जाए। साथ ही सभी त्रि–सीमानों के Latt-Long (भू–निर्देशांक मान) को राजस्व ग्राम मानचित्र पर विहित बिन्दु पर दर्शाया जाए।

(अनुपालन –संबंधित हवाई फोटोग्राफी एजेंसी)

3.3 13 जिलों में सर्वेक्षण कार्य हेतु कार्य योजना तैयार करने का निदेश दिया गया। साथ ही अन्य जिलों के लिए भी कार्य योजना तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – जी0आई0एस0 सलाहकार, पी0एम0यू0)

3.4 समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि सर्वेक्षण कार्यों के विभिन्न प्रक्रमों में प्राप्त अधिकांश दावा/आपत्ति सरकारी भूमि से संबंधित रहते है।

इस संबंध में निदेशित किया गया कि दावा/आपत्ति का निष्पादन ससमय नहीं किया जाता है तो संबंधित पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होंगे।

(अनुपालन –प्रभारी पदाधिकारी संबंधित बंदोबस्त कार्यालय)

3.5 प्रपत्र–18 एवं 19 में पुरानी चौहद्दी को भरे जाने के प्रासंगिकता पर विचार किया गया। जिन ग्रामों में खतियान उपलब्ध नहीं है वहाँ प्रपत्र–19 में चौहद्दी के कॉलम को रिक्त रखने का विकल्प दिया जाए।

(अनुपालन – सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना)

3.6 प्रपत्र–5 का भी डाटा इंट्री करने पर विचार किया गया इस संबंध में डाटा इंट्री हेतु दर निर्धारित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना)

3.7 पूर्व से संचालित बंदोबस्त कार्यालयों से लगान की दर तालिका प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना)

3.8 समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि सर्वेक्षण कार्य के ससमय निष्पादन में कार्यबल का अभाव एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

इस संबंध में कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्वीकृत कार्यबल के आलोक में अधियाचना सरकार को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना)

3.9 डाटा इंट्री हेतु एन0आई0सी0 द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर में वर्णित जातियों एवं बंदोबस्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र–6 में अंकित जातियों के नामों में भिन्नता के निवारण हेतु सभी बंदोबस्त कार्यालय को शीघ्र आवश्यक दिशा–निर्देश उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन – सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना)

4. अधोहस्ताक्षरी द्वारा सामान्य निर्देश हेतु 3 सदस्यों की समिति बनाने का निदेश दिया गया। इस समिति के सदस्य होंगे :–

(क) निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप
(ख) विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(ग) संयुक्त निदेशक, कृषि गणना

(अनुपालन – सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना)

5. हवाई फोटोग्राफी एजेंसियों के भुगतान की समस्या एवं डाटा इंट्री के लंबित कार्य पर मंतव्य देने के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया गया।

(क) सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप
(ख) प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाप
(ग) जी0आई0एस0 सलाहकार, पी0एम0यू0

(अनुपालन – सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 17-विशेष सर्वेक्षण (साप्ताहिक समीक्षा)-347/2017 723 पटना दिनांक:-26/4/18

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव/संयुक्त निदेशक (कृषि गणना)/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/4/18
निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 17-विशेष सर्वेक्षण (साप्ताहिक समीक्षा)-347/2017 723 पटना दिनांक:-26/4/18

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी/सभी हवाई फोटोग्राफी एजेंसी के प्रतिनिधि/सभी डाटा इंट्री एजेंसी के प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/4/18
निदेशक

ज्ञापांक:- 17- विशेष सर्वेक्षण (साप्ताहिक समीक्षा)-347/2017 723 पटना दिनांक:-26/4/18

प्रतिलिपि :- सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/सभी कार्यपटल सहायक, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/4/18
निदेशक

ज्ञापांक:- 17- विशेष सर्वेक्षण (साप्ताहिक समीक्षा)-347/2017 723 पटना दिनांक:-26/4/18

प्रतिलिपि :- सभी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, तकनीकी कोषांग/जी0आई0एस0 सलाहकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/4/18
निदेशक

ज्ञापांक:- 17-विशेष सर्वेक्षण (साप्ताहिक समीक्षा)-347/2017 723 पटना दिनांक:-26/4/18

प्रतिलिपि :- निदेशक कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।

26/4/18
निदेशक

ज्ञापांक:- 17- विशेष सर्वेक्षण (साप्ताहिक समीक्षा)-347/2017 723 पटना दिनांक:-26/4/18

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

26/4/18
निदेशक